भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5125

उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

स्माइल योजना

5125. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित लोगों की सहायता (स्माइल) योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत पुनर्वासित लोगों की वर्षवार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत पुनर्वासित महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग समुदाय के लोगों की विशेषकर बिहार सहित, वर्षवार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार, संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की विशेषकर बिहार सहित, वर्षवार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार, संख्या कितनी है;

(घ) उक्त योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित की गई और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है; और

(ङ) क्या कोई शहर स्माइल योजना के अंतर्गत पूरी तरह से भिक्षावृत्ति-मुक्त होने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): स्माइल (आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता) की उप-योजना "भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" की शुरुआत अर्थात् 23.10.2023 से भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त कुल 31,055 व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिनमें से 9,855 व्यक्तियों को इस उप-योजना के तहत भिक्षावृत्ति से छुटकारा दिलाया गया है और उनका पुनर्वास किया गया है। पुनर्वास का बिहार सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-I और II** में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा पुनर्वास के संबंध में श्रेणी-वार जैसे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): स्माइल भिक्षावृत्ति उप-योजना के तहत, लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तालमेल बैठाते हुए कौशल विकास और आजीविका के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सभी पात्र व्यक्तियों को बढ़ाईगिरी, सिलाई, खाना पकाना, बागवानी, सुरक्षा सेवाओं, स्वच्छता कार्य, ई-रिक्शा ड्राइविंग और अन्य व्यावसायिक कार्यों जैसे व्यवसायों में स्थानीय मांग और योग्यता के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस उप-योजना के अंतर्गत समुदाय/स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करने और आय सृजन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता हेतु बैंकों के साथ संपर्क करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): स्माइल-भिक्षावृत्ति उप-योजना देश भर के चुनिंदा शहरों में चलाई जाती है और तदनुसार, इसके अंतर्गत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि का आबंटन नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है।

(ङ): किसी भी शहर ने आधिकारिक तौर पर स्वयं को स्माइल-भिक्षावृत्ति उप-योजना के अंतर्गत अब तक "भिक्षावृत्ति-मुक्त" घोषित नहीं किया है।

संलग्नक-I

"स्माइल योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5125, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में संदर्भित संलग्नक-I

वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्वास किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर व्यक्ति	बच्चे	कुल
1	आंध्र प्रदेश	330	70	47	187	634
2	अरुणाचल प्रदेश	50	12	0	37	99
3	असम	128	83	9	74	294
4	बिहार	184	180	11	0	375
5	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0	39	0	313	352
6	गुजरात	160	36	0	152	348
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	1
8	जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	344	90	0	28	462
9	कर्नाटक	37	18	8	25	88
10	केरल	114	6	3	13	136
11	मध्य प्रदेश	639	496	0	156	1291
12	ओडिशा	29	15	0	30	74
13	पुदुच्चेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	129	40	0	7	176
14	पंजाब	0	0	0	6	6
15	तमिलनाडु	658	517	328	33	1536
16	तेलंगाना	45	5	0	3	53
17	उत्तर प्रदेश	19	3	0	555	577
कुल		2866	1610	406	1620	6502

संलग्नक-II

"स्माइल योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5125, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में संदर्भित संलग्नक-II

वर्ष 2025-26 के दौरान पुनर्वास किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर व्यक्ति	बच्चे	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	0	19	0	19
2	असम	110	187	0	14	311
3	दिल्ली एनसीटी (संघ राज्य क्षेत्र)	81	49	9	233	372
4	गुजरात	64	33	0	8	105
5	जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	48	48
6	केरल	715	19	125	208	1067
7	नागालैंड	15	7	0	0	22
8	ओडिशा	75	67	0	72	214
9	पुदुच्चेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	2	0	2
10	तमिलनाडु	0	0	54	0	54
11	उत्तर प्रदेश	539	323	0	277	1139
कुल		1599	685	209	860	3353

संलग्नक-III

"स्माइल योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5125, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) में संदर्भित संलग्नक-III

जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई कुल निधि (रु. लाख में)	उपयोग की गई निधि (रु. लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	139.13	28.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.44	21.09
3.	असम	168.60	124.77
4.	बिहार	145.39	9.00
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	33.35	33.35
6.	छत्तीसगढ़	73.05	0.00
7.	दिल्ली एनसीटी (संघ राज्य क्षेत्र)	111.27	111.27
8.	गोवा	0.00	0.00
9.	गुजरात	186.61	86.15
10.	हरियाणा	55.82	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	62.22	17.60
12.	जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	80.17	17.60
13.	झारखंड	50.61	0.00
14.	कर्नाटक	120.39	19.60
15.	केरल	186.59	50.60
16.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	14.61	0.00
17.	मध्य प्रदेश	157.37	24.00
18.	महाराष्ट्र	68.21	9.00
19.	मणिपुर	62.57	23.61
20.	मेघालय	14.61	0.00
21.	मिजोरम	23.61	23.61
22.	नागालैंड	47.96	33.35
23.	ओडिशा	108.32	26.60
24.	पुदुच्चेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	80.91	32.21
25.	पंजाब	61.43	0.00
26.	राजस्थान	132.26	0.00
27.	सिक्किम	14.61	0.00
28.	तमिलनाडु	414.26	252.53
29.	तेलंगाना	50.21	0.00
30.	त्रिपुरा	14.61	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	203.43	18.00
32.	उत्तराखंड	61.83	18.00
33.	पश्चिम बंगाल	14.61	0.00
कुल		**3004.06**	**980.54**
